भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1657

उत्तर देने की तारीख-10/03/2025

पीएम श्री योजना

†1657 श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:
डॉ. राजीव भारद्वाज:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;
(ख) इस योजना के अंतर्गत देशभर में कितने विद्यालयों का उन्नयन किए जाने का प्रस्ताव है;
(ग) महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली और विशेषकर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में पीएम श्री विद्यालयों के अंतर्गत चयनित विद्यालयों का ब्यौरा क्या है;
(घ) विगत दो वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली को आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है;
(ङ) इस योजना पर सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(च) इन राज्यों में पीएम श्री विद्यालयों के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(छ) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली के स्कूलों में सुविधाओं की कमी से बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): पीएम श्री स्कूल केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके स्थापित किए जाते हैं। इन स्कूलों को

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करना होता है और समय के साथ अनुकरणीय स्कूल के रूप में उभरना होता है, और पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व भी प्रदान करना होता है। वे अपने-अपने क्षेत्रों में एक समान, समावेशी और आनंदमय स्कूली माहौल में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में नेतृत्व प्रदान करते हैं जिनमें बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ख्याल रखा जाता है और उन्हें एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुसार स्वयं की अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाता है।

पीएम श्री योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं:

1. गुणवत्ता और नवाचार (शिक्षण संवर्द्धन कार्यक्रम, समग्र प्रगति कार्ड, अभिनव शिक्षाशास्त्र, बैगलेस दिवस, स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण आदि)
2. शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत लाभार्थी उन्मुख अधिकार।
3. वार्षिक स्कूल अनुदान (समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, खेल अनुदान)
4. बालवाटिका और आधारभूत साक्षरता और संख्याज्ञान सहित प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा
5.समानता और समावेशन जिसमें लड़कियों और विशेष जरूरतों वाले बच्चों (सीडब्लूएसएन) के लिए सुरक्षित और उपयुक्त अवसंरचना का प्रावधान शामिल है।
6. छात्रों को प्रस्तुत किए जाने वाले विषयों के चयन में लोचशीलता को प्रोत्साहित करना।
7. शिक्षकों और छात्रों के बीच भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में मदद करने हेतु तकनीकी साधनों का उपयोग करके शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को प्रोत्साहित करना।
8. डिजिटल शिक्षाशास्त्र का उपयोग करने के लिए आईसीटी, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी।
9. मौजूदा अवसंरचना को सुदृढ़ करना।

10. व्यावसायिक सहयोग और विशेष रूप से स्थानीय उद्योग के साथ प्रशिक्षुतावृत्ति/उद्यमिता के अवसरों को बढ़ाना। विकासात्मक परियोजनाओं/निकटवर्ती उद्योग के साथ कौशल का मानचित्रण करना और तदनुसार पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या विकसित करना।

(ख): इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके 14500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है।

(ग): महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली में पीएम श्री स्कूलों के अंतर्गत चयनित स्कूलों का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**प्राथमिक**	**प्रारंभिक स्कूल**	**माध्यमिक स्कूल**	**वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल**	**कुल स्कूल**
1	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	5	0	0	6
2	हिमाचल प्रदेश	56	0	5	119	180
3	मध्य प्रदेश	15	121	274	377	787
4	महाराष्ट्र	207	468	110	42	827

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में 17 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया गया है, जिनमें से 3 प्राथमिक, 8 प्रारंभिक, 5 माध्यमिक और 1 वरिष्ठ माध्यमिक हैं।

(घ): पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली को इस योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

(ड़): पीएम श्री योजना की कुल लागत ₹27,360 करोड़ है जिसमें केंद्र का हिस्सा 18,128 करोड़₹ और राज्य का हिस्सा 9,232 करोड़₹ शामिल है।

(च): पीएम श्री योजना में पीएम श्री स्कूलों को विज्ञान प्रयोगशालाओं, आईसीटी-सक्षम स्मार्ट कक्षाओं, पुस्तकालय, फर्नीचर और खेल के मैदान से सुसज्जित करने का प्रावधान है। इसके अलावा, स्मार्ट बोर्ड जैसे डिजिटल शिक्षण उपकरण आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षा का सहयोग प्रदान करते हैं। एलईडी लाइटिंग, खाद बनाने की सुविधा और औषधीय उद्यानों की शुरूआत जैसे प्रयास पर्यावरण के अनुकूल "ग्रीन स्कूल" बनाते हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आईसीटी प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, प्रयोगशाला उपकरण, डिजिटल पुस्तकालय, कक्षा डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट कक्षा, एलईडी प्रकाश व्यवस्था, खाद बनाने की सुविधा आदि जैसी कमियों की पहचान करके प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत घटक-वार प्रस्ताव का मूल्यांकन और स्वीकृति परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से वित्तीय और कार्यक्रम संबंधी मानदंडों और उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

(छ): केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित योजना, समग्र शिक्षा को क्रियान्वित करती है, जो सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में सहायता करती है। इस संबंध में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं और प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडबल्यूपीएंडबी) तैयार किया जाता है। इन योजनाओं को योजना के कार्यक्रम और वित्तीय मानदंडों और बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से पीएबी द्वारा मूल्यांकन/अनुमोदन किया जाता है।

*****

अनुलग्नक -I

"पीएम श्री योजना" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे, श्री ज्ञानेश्वर पाटील, श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर, डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे और डॉ. राजीव भारद्वाज द्वारा को पूछे गए दिनांक 10.03.2025 लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1657 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली को इस योजना के अंतर्गत आबंटित धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केविस./नविस. का नाम**	**वित्त वर्ष 2023-24 में आवंटित धनराशि**	**वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्रीय हिस्सा**	**वित्त वर्ष 2024-25 में आवंटित धनराशि**	**वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्रीय हिस्सा**
1	**महाराष्ट्र**	211.35	126.81	504.63	302.77
2	**मध्य प्रदेश**	219.99	131.99	329.09	197.45
3	**दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव**	2.6	2.6	1.5	1.5

*****